राजस्व वाद संख्याः– 115/2019
अमरजीत बनाम अंगुरी वगै0
निर्णय दिनांकः– 14.11.2022

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सूरजगढ जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :–

राजेन्द्र कुमार, (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं.– 115/2019

अमरजीत पुत्र फुलसिंह जाति जाट निवासी सरदारपुरा तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनूं राज0

– प्रार्थी

बनाम

1. अगुंरी पुत्री प्रभाती जाति मेघवाल निवासी लीखवा तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
2. ओमप्रकाश पुत्र प्रभुराम जाति मेघवाल निवासी तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
3. जगमहेन्द्र पुत्र लीलुराम जाति घानक निवासी माजरा तहसील नारनोल जिला हिसार हरियाणा।
4. निलम पुत्री प्रभाती जाति मेघवाल निवासी लीखवा तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
5. भीखाराम पुत्र प्रभाती जाति मेघवाल निवासी लीखवा तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
6. श्योबाई पत्नि प्रभाती जाति मेघवाल निवासी लीखवा तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
7. रजना पुत्री प्रभाती जाति मेघवाल निवासी लीखवा तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
8. सतीस पुत्र प्रभाती जाति मेघवाल निवासी लीखवा तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
9. सुनिता पत्नि जहमहेन्द्र जाति घानक निवासी माजरा तहसील नारनोल जिला हिसार हरियाणा।
10. सुरेन्द्र पुत्र प्रभाती जाति मेघवाल निवासी लीखवा तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
11. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार सूरजगढ, तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

– अप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ

Scanned with Oken Scanner

राजस्व वाद संख्या– 115/2019
अभयजीत बनाम अंजुरी वगै0
निर्णय दिनांक– 14.11.2022

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) की उप धारा (1)
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–:: निर्णय ::–

दिनांक –14.11.2022

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा है कि–

यह कि आवेदक की ग्राम लीखवा तहसील सूरजगढ़ उपखण्ड सूरजगढ में भूमि खसरा न0 87 रकबा 6.60 है0 अनावेदक के काश्त खातेदारी की भूमि स्थित है। जिसमें आवेदक के खसरा नम्बर 88 के अपने मकानो में जाने, मवेशी, टैक्टर व अन्य वाहन लाने ले जाने , पाईप लाइन बिछाने के लिए अनावेदकगण संख्या 01 लगायत 10 के खसरा नम्बर 87 रकबा 6.60 है0 भूमि के मध्य से उपरोक्त रास्ते बाबत एक विक्रय का इकरारनामा दिनांक 17.07.2007 को हुआ जिसके अनुसार 04 मीटर चौड़ा व 100 मीटर लम्बा जिसका कुल क्षेत्रफल 0.04 है0 भूमि के लिए आवेदक से 25,000 रूपये नगद नथु, प्रभाती पुत्रगण बीरबल ने लिये थे तथा दिनांक 17.07.2007 से उक्त रास्ता आज तक आवेदक उपभोग उपयोग कर रहा है अतः आवेदक के मकानात में आने जाने बाबत, वाहन उटगाडी मवेशी के आने जाने के लिए विक्रय का इकरारनामा दिनांक 17.07.2007 के अनुसार 04 मीटर चौडा व 100 मीटर लम्बा रास्ता नजरी नक्शे के अनुसार घोषित किया जावे व तहसीलदार सूरजगढ़ को उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में अमल दारमद किये जाने का आदेश दिया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तामील जरिये सम्मन जारी की गयी। अप्रार्थीगण की और से कोई उपस्थित नहीं होने के कारण इनके खिलाफ एक पक्षीये कार्यवाही अमल में लायी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख नकल जमाबंदी सं0 2074–77, नक्शा ट्रेस, तहसीलदार सूरजगढ़ की मौका रिपोर्ट।

बहस सुनी गई

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई । तहसीलदार सूरजगढ़ की मौका रिपोर्ट कमांक राजस्व/2021/345 दिनांक 19.08.2021 का अवलोकन किया गया जिसमें बताया गया की ख0न0 88 में पूर्व में कोई कटानी रास्ता नहीं है वर्तमान में ख0न0 87 में से होकर मौके पर रास्ता चालू है । नया रास्ता कायम करने से ख0 न0 87 रकबा 6.60 है0 में 86x4=344 वर्गमीटर भूमि होता है व मौके पर रास्ता चालू है। ख0न0 1023/89 रकबा 0.85 है0 में से भी रास्ता का क्षेत्रफल 82x4=328 वर्गमीटर होता है। ख0न0 1023/89 की कृषि भूमि विवादित है। आवेदक की कृषी भूमि ख0न0 88 वाके स्थित ग्राम लीखवा में न तो राजस्व

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़

Scanned with Oken Scanner

रिकार्ड में कटानी रास्ता है। भू0अ0 निरीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 04.08.2021 से प्रतित होता है की ख0 न0 87 की दक्षिणी सीमा पर आम रास्ता स्थित है । ख0न0 87 की पश्चिमी सीमा के सहारे-सहारे 86x4=344 वर्गमीटर जो मौके पर चालु है में नया रास्ता कायम किया जाना न्यायोचित है। उक्त रास्ते के अलावा आवेदक के लिए ख0न0 1023/89 रकबा 0.85 है0 में से भी रास्ता का क्षेत्रफल 82x4=328 वर्गमीटर होता है परन्तु ख0न0 1023/89 की कृषि भूमि विवादित है। अतः ख0न0 87 के अलावा अन्य कोई सुविधाजनक रास्ते का विकल्प नहीं है।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया। इस प्रकार न्यायालय भू0 अ0 निरीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 04.08.2021 के साथ पेश नजरी नक्शा में दर्शित ख0न0 87 की पश्चिमी सीमा के सहारे-सहारे 86x4=344 वर्गमीटर में नया रास्ता कायम किया जाना न्यायोचित पाता है।

-:: आदेश::-

भूमि खेत ख0न0 88 स्थित ग्राम लीखवा तहसील सूरजगढ में चाहे गये रास्ते के लिए भू0 अ0 निरीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 04.08.2021 के अनुसार ख0न0 87 की पश्चिमी सीमा के सहारे-सहारे 86x4=344 वर्गमीटर नया रास्ता कायम किया जाना न्यायोचित पाता है। तहसीलदार सूरजगढ़ को निर्देशित किया जाता है की वह रास्ते में जाने वाली भूमि की निर्धारित डीएलसी दर से दुगुनी राशि आवेदक से जमा कर सम्बन्धित खातेदार को दी जावें। रास्ते के नाप में अगर कोई परिवर्तन होता है तो तहसीलदार अपने स्तर पर निस्तारण करें तथा राजस्व रिकार्ड में रास्ते को अमल दरामद करें। भू0 अ0 निरीक्षक की रिपोर्ट निर्णय का भाग रहेगा।

(राजेन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी,
पदेन उप जिला कलक्टर
सूरजगढ़

यह निर्णय आज दिनांक 14.11.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुद्रा से सरे इजलास में सुनाया गया।

(राजेन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी,
पदेन उप जिला कलक्टर
सूरजगढ़

Scanned with Oken Scanner